

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 15/2025 (RCMS : 2025/19)

हरनाम सिंह पुत्र श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी मोहलां, तहसील  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) — — — प्रार्थी

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी 12 एच मोहलां,  
तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. निरंजन सिंह पुत्र श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी 12 एच मोहलां,  
तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. भजन सिंह श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी 12 एच मोहलां, तहसील  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. गोपी पुत्री श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी 12 एच मोहलां, तहसील  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. नायब तहसीलदार, केसरीसिंहपुर
6. हरगोविन्द सिंह श्री भारत सिंह जाति लबाना सिख निवासी 12 एच मोहलां,  
तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)



— — — अप्रार्थीगण

25.02.2025

प्रार्थी के अधिवक्ता पूनम वर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार गुम्बर उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी हरनाम सिंह ने जरिये अधिवक्ता अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवानी हरनाम सिंह बनाम चरण सिंह आदि अपील संख्या 5/2024 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और उनके स्थान पर नये अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने कार्यग्रहण कर लिया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज करने की प्रार्थना की है।



*Handwritten signature*  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि यदि इस मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का अन्य स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 5/2024 अनवानी हरनाम सिंह बनाम चरण सिंह आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। तत्कालीन अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने कार्यग्रहण भी कर लिया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)  
जिला कलक्टर  
श्रीगंगानगर